

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र
दिनांक 28 नवम्बर, 2024

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 224,59,82,000 (दो सौ चौबीस करोड़ उनसठ लाख बयासी हजार रूपये) से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-4. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

5. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 35,58,21,000 (पैंतीस करोड़ अठावन लाख इक्कीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 6-7. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

8. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1028,88,34,000 (एक हजार अठाइस करोड़ अठासी लाख चौतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 9-10. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

11. **प्रभारी मंत्री**, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,45,03,000 (बारह करोड़ पैंतालीस लाख तीन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक-निर्वाचन विभाग

12. **प्रभारी मंत्री**, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निर्वाचन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 122,50,00,000 (एक सौ बाईस करोड़ पचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

13. **प्रभारी मंत्री**, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,06,50,000 (एक करोड़ छः लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

14. **श्री महबूब आलम** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की निगरानी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक सहकारिता विभाग

15. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 21,42,65,000 (इक्कीस करोड़ बयालीस लाख पैंसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 16-17. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

18. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ऊर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1681,55,55,000 (एक हजार छः सौ इक्कासी करोड़ पचपन लाख पचपन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 19-20. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

21. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 107,83,91,000 (एक सौ सात करोड़ तेरासी लाख इक्कानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

22. श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-12
आय-व्ययक वित्त विभाग

23. **प्रभारी मंत्री**, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 548,97,72,000 (पाँच सौ अड़तालीस करोड़ सत्तानवे लाख बहतर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

मांग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

24. **प्रभारी मंत्री**, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 572,72,31,000 (पाँच सौ बहतर करोड़ बहतर लाख इकतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

25. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

26. **प्रभारी मंत्री**, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 521,78,55,000 (पाँच सौ इक्कीस करोड़ अठहतर लाख पचपन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

27. **श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

28. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 42,55,13,000 (बयालीस करोड़ पचपन लाख तेरह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

29. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

30. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2395,72,48,000 (दो हजार तीन सौ पंचानवे करोड़ बहत्तर लाख अड़तालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 31-33. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री महबूब आलम एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

34. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13996,23,03,000 (तेरह हजार नौ सौ छियानवे करोड़ तेईस लाख तीन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

35-37. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री महबूब आलम एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

38. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 177,89,24,000 (एक सौ सतहत्तर करोड़ नवासी लाख चौबीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

39. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 693,80,75,000 (छः सौ तीरानवे करोड़ अस्सी लाख पचहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

40. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-24

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

41. प्रभारी मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना एवं जनसंपर्क विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 70,42,50,000 (सत्तर करोड़ बयालीस लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रावैधिकी विभाग

42. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 34,12,00,000 (चौतीस करोड़ बारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

43. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 92,74,00,000 (बानवे करोड़ चौहत्तर लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

44. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 14,68,83,000 (चौदह करोड़ अड़सठ लाख तेरासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

45. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 88,01,60,000 (अठासी करोड़ एक लाख साठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

46. श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

47. प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 13,19,00,000 (तेरह करोड़ उन्नीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

48. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 33,15,84,000 (तैंतीस करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

49. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 100,13,00,000 (एक सौ करोड़ तेरह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

50. श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

मांग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

51. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 159,40,41,000 (एक सौ उनसठ करोड़ चालीस लाख इकतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

52. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

53. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 788,49,00,000 (सात सौ अठासी करोड़ उनचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

54. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

मांग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

55. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,31,16,000 (पाँच करोड़ इकतीस लाख सोलह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

56. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,000 (दो हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

57. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

58. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 449,28,12,000 (चार सौ उनचास करोड़ अठ्ठाइस लाख बारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

59. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

60. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1313,22,57,000 (एक हजार तीन सौ तेरह करोड़ बाईस लाख संतावन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 61-62. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

63. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 679,50,00,000 (छः सौ उनासी करोड़ पचास लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 64-66. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

67. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 27,70,60,000 (सत्ताइस करोड़ सत्तर लाख साठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

68. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 110,02,29,000 (एक सौ दस करोड़ दो लाख उनतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

69. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 63,75,000 (तिरसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

70. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

71. प्रभारी मंत्री, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 469,79,97,000 (चार सौ उनहत्तर करोड़ नवामी लाख सतानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

72. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

73. प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 30,62,000 (तीस लाख बासठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

74. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2286,08,74,000 (दो हजार दो सौ छियासी करोड़ आठ लाख चौहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 75-77. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

78. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 496,25,98,000 (चार सौ छियानवे करोड़ पचीस लाख अन्तानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 79-80. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

81. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 26,00,000 (छब्बीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

82. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-51
आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

83. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3028,91,90,000 (तीन हजार अठाइस करोड़ इक्यानवे लाख नब्बे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

84. श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2235, उप मुख्य शीर्ष-02 के लिए 91,00,000/- रूपये की माँग 1,00,000/- रूपये से घटायी जाय।
मितव्ययिता पर विचार-विमर्श करने के लिए।

- 85-87. श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-52
आय-व्ययक शीर्षक-खेल विभाग

88. प्रभारी मंत्री, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खेल विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 40,38,000 (चालीस लाख अड़तीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।


यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-08/2024- 3796 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 नवम्बर, 2024 ई०।


प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रीगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27.11.2024

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-08/2024- 3796 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:-निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


27.11.2024


(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-08/2024- 3796 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


27.11.2024

(असीम कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

शक्ति शाह
27.11.2024